

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आं.व./ICDS/18/1950459-67

जयपुर,दिनांक: 5/10/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....।

~~195045~~

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(03)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोजना (केंद्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, तलवाडा	01. संवेतन	केंद्रीय सहायता	10.00	7.50	17.50
			राज्य निधि	30.00	22.50	52.50
			राज्य निधि-ब	40.00	5.00	45.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
		09. किराया आंगन.	केंद्रीय सहायता	0.30	2.40	2.70
			राज्य निधि	0.20	1.60	1.80
2	.. डूंगरपुर	01 संवेतन	केंद्रीय सहायता	20.00	20.00	40.00
			राज्य निधि	60.00	00.00	60.00
			राज्य निधि-ब	40.00	0.00	40.00
3	.. सागवाडा II	03. यात्रा व्यय	केंद्रीय सहायता	0.15	0.15	0.30
			राज्य निधि	0.45	0.45	0.90
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
4	.. बिछीवाडा I	04. चिकित्सा व्यय	केंद्रीय सहायता	0.01	0.06	0.07
			राज्य निधि	0.03	0.18	0.21
5	.. बिछीवाडा II	01 संवेतन	केंद्रीय सहायता	10.00	6.50	16.50
			राज्य निधि	30.00	0.00	30.00
			राज्य निधि-ब	40.00	0.00	40.00
		03. यात्रा व्यय	केंद्रीय सहायता	0.15	0.10	0.25
			राज्य निधि	0.45	0.30	0.75
			राज्य निधि-ब	0.08	0.00	0.08
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.05	0.45
		36. वाहन किराया	केंद्रीय सहायता	1.08	0.05	1.13
			राज्य निधि	0.72	0.03	0.75
		42. प्रोत्सा. व मानदेय	केंद्रीय सहायता	66.83	7.20	74.03
राज्य निधि	44.55		4.80	49.35		
राज्य निधि-ब	122.53		0.00	122.53		

1	2	3	4	5	6	7
6	.. सीमलवाडा I	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	10.00	20.00
			राज्य निधि	30.00	30.00	60.00
			राज्य निधि-ब	40.00	10.00	50.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
7	.. आबूरोड ग्रा.	01 संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	10.00	20.00
			राज्य निधि	30.00	30.00	60.00
			राज्य निधि-ब	40.00	20.00	60.00
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.30	0.06	0.36
			राज्य निधि	0.20	0.04	0.24

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।




वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि: 5/10/18

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/195459-67  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संबंधित।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



वित्तीय सलाहकार